(iii) औद्योगिकी आत्म-निर्भरता की युक्ति की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि स्वदेश प्रौद्योगिकी के साधन के हित मे औद्योगिक प्रौद्योगिकी के बाजार का पुनर्गठन किया जाये ।

(iv) पांचवी पचवर्षीय योजना के दौरान अनुसधान और विकास कार्य पर राष्ट्रीय निवेश इस परिमाण मे होगा कि पाचवी योजना के अन्तिम वर्ष तक यह सख्या जी०एन०पी० के एक प्रतिशत के निकटतम पहुच जाये ।

देश में आन्दोलनों के दौरान पुलिस और सेना द्वारा गोली चलाये जाने के कारण मारे गये व्यक्ति

3253. श्री मूल चन्द डागा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि वर्ष 1972 मे कितनी बार और किस-किस उद्देश्य के लिये तथा किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार को गोली चलाने का आदेश देना पड़ा और कहा-कहा सेना भेजनी पड़ी और उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये और किन-किन घटनाओं की न्यायिक जांच का आदेश दिया गया था ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री एफ० एच० मोहसिन): लोक व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है और केन्द्रीय सरकार द्वारा गोली चलाने का आदेश देने का कोई प्रश्न नही उठता । निम्नलिखित विषयों पर सभी राज्य सरकारो से सूचना एकत्रित की जा रही है :—

(1) वे स्थान जहा लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये गोली चलानी पडी थी ।

(2) उन स्थानों के नाम जहां नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए सेना की सहायता प्राप्त की गई थी ।

(3) उन व्यक्तियों की संख्या जो नागरिक अधिकारियो अथवा राज्य पुलिस की सहायता के लिए सेना अथवा अन्य केन्द्रीय सशस्त्र बलों द्वारा गोली चलाने के परिणामस्वरूप मारे गये थे ।

(4) वे घटनाए जिनके सबंध में न्यायिक जाच के आदेश दिये गये थे ।

गुना (म य प्रदेश) में आक्सीजन संयंत्र का स्थापना

3254 **श्री फूलचन्द वर्मा.** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को गुना जिले में आक्सीजन गैस प्लांट खोलने के प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस बारे मे कब तक निर्णय किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

Telephone Bills

3255. SHRI R. K. SINHA. Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state

(a) whether the complaints about inaccurate telephone bills in Delhi have shown an increasing trend during the last three years,

(b) the percentage of increase in such complaints over the previous years, and

(c) the number of complaints in respect of which the bills have been rectified and rebate allowed?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H N BAHUGUNA) (a) Although the complaints had shown an increasing trend during the year 1970 and 1971, it has taken a decreasing trend in 1972.

(b) The percentage of increase in 1970 and 1971 over the preceding year is 29 35 % and 168 65 % respectively and in 1972 the percentage of decrease is 8 45 %

(c) Numbers of bills rectified and rebate allowed during 1970, 1971 and 1972 are 393, 868 and 774 respectively

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल में बिहार से भर्ती

3256. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971–72 मे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल मे बिहार राज्य से कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये थे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० एच० मोहसिन) : अपेक्षित सूचना एकत्रित है

डाक तथा तार विभाग में नैमित्तिक श्रमिक

3257 **श्री ईश्वर चौधरी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) गत तीन वर्षों मे डाक तथा तार विभाग मे, राज्यवार, नैमित्तिक श्रमिको की संख्या कितनी थी,

(ख) उनके वेतन मान क्या है, और

(ग) वे नैमित्तिक श्रमिक के रूप मे कब से कार्य कर रहे हैं और उन्हे कब तक स्थायी बनाया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) (क) डाक तार विभाग मे विभिन्न विशिष्ट कार्यों की अवधि के दौरान अस्थायी रूप से दैनिक मजदूरी पर नैमित्तिक श्रमिको को नियुक्त किया जाता है । अत विभाग हर वर्ष कितने मजदूर नियुक्त करता है, उनकी संख्या बताना मुश्किल है ।

तथापि जो नैमित्तिक श्रमिक लगातार पिछले तीन वर्ष से कार्य कर रहे है उनकी संख्या कितनी है, इसकी सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) इनका कोई नियमित वेतनमान नही है । इन्हे दैनिक मजदूरी के आधार पर भुगतान किया जाता है । सबधित सर्किल अध्यक्ष भारत सरकार के विभिन्न विभागो मे अपनाए जाने वाले सामान्य नियमो के अनुसार दैनिक मजदूरी की दर मजूर करते है । स्थानीय इलाको मे नैमित्तिक श्रमिको को दी जाने वाली मजदूरी की प्रचलित स्थानीय दर इसका आधार होती है । दिल्ली शहर के लिए मौजूदा दैनिक मजदूरी की दर 4 रुपय 50 पैसे है ।